निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/कम्प्यूटर/पार्ट–III/2011/ दिनांकः दिसम्बर, 2012

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान ।

विषयः **कम्प्यूटर फैकल्टी बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कई महाविद्यालयों से प्राप्त पत्रों में अवगत कराया गया है कि स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षण हेतु अनुबन्धित कम्पनी एजूकॉम सोलयूशन्स लिमिटेड द्वारा शिक्षण हेतु फैकल्टी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अतः छात्रहित में अनुबन्ध के बिन्दु 11(पृष्ठ 6) एवं 15 (XII)–(पृष्ठ 8) के अन्तर्गत आपको महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से 2 कम्प्यूटर अनुदेशक उक्त अनुबन्ध में दी गई योग्यतानुसार लगाने हेतु अधिकृत किया जाता है। प्राचार्य सुनिश्चित करें कि कम्प्यूटर अनुदेशक को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र एवं अनुभव प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावे, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार के विधिक प्रकरण न हो। अनुदेशक के साथ अनुबंध सम्बंधी फार्मेट संलग्न है। उक्त कार्यवाही पत्र प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कर निदेशालय कॉलेज शिक्षा एवं एजूकॉम सोलयूशन्स लिमिटेड कम्पनी को सूचित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,
— Sd —
(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/कम्प्यूटर/पार्ट–III/2011/ 262 दिनांकः 06 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त सहायक निदेशक, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा/जोधपुर
2. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

अनुबन्ध पत्र

यह करार पत्र आज दिनांकः .... प्रथम पक्ष प्राचार्य .... कॉलेज .... (स्थान) (जिसे अनुमोदित सेवा प्रदाता कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा उसके उत्तराधिकारियों निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) एवं द्वितीय पक्ष .... (अनुबन्धित संस्था का नाम) के बीच सम्पन्न किया गया है।

अतः यह विलेख निम्नलिखित शर्तों का साक्षी है :–

1. द्वितीय पक्ष नीचे दी गई दरों पर संविदा कर्मी उपलब्ध करायेगा।

क्र0सं0	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	पारिश्रमिक	मासिक दर
1	2	3	4	5

2. संविदा कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान क्र0सं0–1 की शर्तों के अनुसार प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जायेगा तथा द्वितीय पक्ष संबंधित संविदा कर्मी को भुगतान करेगा।
3. द्वितीय पक्ष माह की 5 तारीख तक बिल प्रेषित करेगा तथा प्रथम पक्ष बिलों की जांच के पश्चात् 10 तारीख तक द्वितीय पक्ष को भुगतान करेगा।
4. प्रथम पक्ष द्वारा शिकायत करने पर द्वितीय पक्ष दूसरा अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध करायेगा।
5. संविदा कर्मी सामान्यतः 9.30Am से 6.00Pm तक अथवा प्रथम पक्ष की आवश्यकता के अनुरूप कार्य करेंगे। प्रथम पक्ष अवकाश के दिनों में भी आवश्यकतानुसार संविदा कर्मियों से काम ले सकेंगे।
6. प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारियों के पास संविदा कर्मियों का प्रशासनिक नियन्त्रण तथा तद्नुसार द्वितीय पक्ष समय–समय संविदा कर्मियों के अनुशासन एवं दक्षता का पर्यवेक्षण कर सकेगा।
7. अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध की तारीख से एक वर्ष तक होगी।
8. किसी भी पक्ष द्वारा करार से विमुख होने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह के पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा।
9. संविदा कर्मी अपनी निष्पति के लिए प्रथम पक्ष/प्रथम पक्ष के संस्थापन कर्मियों से सम्पर्क कर निष्पादन रिर्पोट/उपस्थिति रिर्पोट प्राप्त करेंगे।
10. किसी प्रकार के संदेह/विवाद सामूहिक चर्चा द्वारा Indian Arbitation & Councialliate Act 1996 द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

(ह0 द्वितीय पक्षकार)
नाम एवं पता

(ह0 प्रथम पक्षकार)
नाम एवं पता

गवाह (1)

गवाह (2)